भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1284
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

पीएमआरपीवाई के माध्यम से रोजगार सृजन

1284. श्री आनंदराव अडसुलः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डा॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 2018 की तिथि तक पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए कितनी वेतन सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त सीमा को बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पीएमआरपीवाई के कार्यान्वयन के पश्चात् वर्ष 2016 से अब तक सृजित किए गए अतिरिक्त रोजगारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या 31 मार्च, 2019 के बाद पीएमआरपीवाई के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 9 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों को तीन साल की अवधि के लिए ईपीएफ और ईपीएस दोनों (समय-समय पर यथा स्वीकार्य) के लिए नियोक्ता के पूर्ण योगदान, अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। यह योजना रु. 15,000 प्रति माह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है और पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर, नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार के आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किया गया है। 31, दिसंबर 2018 तक पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पीएमआरपीवाई के माध्यम से रोजगार सृजन के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या	01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	8646	780535
असम	365	8258
बिहार	737	105355
चंडीगढ़	3612	155769
छत्तीसगढ	2473	102987
दिल्ली	5570	628772
गोवा	352	15343
गुजरात	11763	857175
हरियाणा	7067	823757
हिमाचल प्रदेश	2565	110997
झारखंड	1110	46635
कर्नाटक	7853	963140
केरल	3567	165120
मध्य प्रदेश	4548	282474
महाराष्ट्र	14193	1746468
ओडिशा	2169	110975
पंजाब	4760	161869
राजस्थान	7601	376834
तमिलनाडु	13527	1177433
उत्तर प्रदेश	12556	689057
उत्तराखंड	2491	243977
पश्चिम बंगाल	3825	285416
कुल	121350	9838346